<u>राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर</u>

<u>आदेश</u>

S.B. Civil Misc. Appeal No. 732/2017

विजय कुमार छाबड़ा एवं अन्य
बनाम
रेलीगेयर फिनवेस्ट लि**.** एवं अन्य

आदेश दिनांक **11** अक्टूबर, **2018**

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा</u>

श्री जे के धींगरा अधिवक्ता- अपीलार्थीगण की ओर से
श्री आशुतोष भाटिया अधिवक्ता- प्रत्यर्थीगण की ओर से

--

प्रत्यर्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता श्री आशुतोष भाटिया ने एरन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इण्डिया लि. एवं अन्य बनाम रेलीगेयर फिनवेस्ट लि. ओ एम पी 528/2015 , जो कि देहली उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने दिनांक 06.10.2016 को निर्णित किया है, का अवलम्बन लेते हुए निवेदन किया है कि पंच एक से अधिक आर्बिट्रेटर केस की सुनवाई कर रहा हो, वहां पर यदि उसने इस तथ्य को बता दिया है, तो उस स्थिति में पंच को प्रकरण की सुनवाई में कोई रूकावट नहीं है।

विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थीगण श्री जे के धींगरा ने निवेदन किया है कि वे इस आदेश का अध्ययन कर बहस करने हेतु अवसर चाहते हैं, जो प्रार्थनानुसार उन्हे प्रदान किया जाता है।

पत्रावली दिनांक 13.11.2018 को पुन: न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे, तब तक पूर्व में दी गयी अण्डर टेकिंग प्रभावी रहेगी।

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

(न्या0 बनवारी लाल शर्मा **)**

<u>अनिलशर्मा/M-25</u>